# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 22/2025<br>दलपत सिंह वगैरह बनाम मदन सिंह वगैरह<br>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6-6-2025 | प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सामलाती पुश्तेनी हक हिस्से की तथा अविभाजित खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 311 रकबा 7.9237 मौजा गांव भाचरण तहसील लूणी में आई हुई है जिसमें प्रार्थी सं. 1 का 1/6 व प्रार्थी सं. 2 से 8 का प्रत्येक का 1/42 हिस्सा है खसरा सं. 311 को आगामी पदों में वाद ग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की सामलाती खातेदारी में दर्ज सुदा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 अजनबी केता पक्षकार है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित है जिसका बंटवाड़ा तरमीम की हुई नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 प्रार्थीगण के कब्जे कास्त उपयोग में काफी समय से अनावश्यक रूप से दखल तंग परेशान करते है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को वादग्रस्त भूमि का अपने अपने हक हिस्से अनुसार अलग भूमि कर भूमि का बंटवाड़ा निवेदन किया गया। परंतु अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक राय होकर वादग्रस्त भूमि के आम रोड़ से लगती हुई भूमि पर नीवे खोद कर रोड़ सीमा से लगती हुई वादग्रस्त भूमि पर आगे की तरफ बिना विभाजन ही निर्माण कर अकेले काबिज होने से पत्थर आदि निमार्ण सामग्री डालकर अवैध रूप से निर्माण आदि कर भूमि की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए प्रार्थीगण को क्षति पहुंचाना चाहते है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण उनके हक हिस्से कब्जे से बदेखल कर भूमि पर बिना बंटवाड़ा तरमीम किये ही कोई स्थाई निर्माण कर अच्छी से अच्छी भूमि पर काबिज हो जाने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मुल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादिर पारित फरमाया जावे।<br><br>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर दिनांक 03.03.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 की और से अधिवक्ता ईश्वर सिंह ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को खारीज कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलाती भूमि है परन्तु उक्त भूमि का मौखिक बंटवाडा हो चुका है। मौखिक बंटवाडा होने के बाद प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता ने उक्त भूमि में से पूर्व में घेवरराम पुत्र जोगाराम को उक्त भूमि बेचान की है। बेचान के आधार पर उक्त भूमि का तरमीम भी मौके पर हो चुका है तथा तरमीम होने के बाद उक्त खसरा 311/2 हुआ तथा प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता ने पूर्व में खसरा नम्बर 311 में से भूमि पप्पूदेवी पत्नी पोलाराम को बेचान की उक्त बेचान के आधार पर उक्त भूमि की तरमीम हो चुकी है तथा तरमीम के आधार पर खसरा नंबर 311/4 हुए। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 मदनसिंह, अप्रार्थी संख्या 5 को दिनांक 25.07.2024 को खसरा नम्बर 311/2 के पास की भूमि का बेचान अपने हक व हिस्से में 0.1618 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया तथा बेचान करने के बाद आज भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 5 मूलाराम काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त खसरा की भूमि का मौखिक बंटवाडा हो चुका है तथा मौखिक | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बंटवाडे के पश्चात् आज भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर काविज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 उनके कब्जे व काश्त में अनावश्क रूप से दखलन्दाजी नहीं करते है बल्कि मौखिक बंटवाड़े अनुसार ही अपने हक व हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त सारे तथ्य मनगंढत व झूठे उल्लेखित किये है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 मौखिक बंटवाडे के अनुसार आज भी बंटवाडा करने के लिए तैयार है। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ़ नहीं बनकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनती है। इस कारण प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज फरमाया जावें।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में बंटवाड़ा चाहा गया है। अप्रार्थीगण के जवाब के आधार पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच विवादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवारा होना एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारी का प्रयोग करते हुए विवादग्रस्त भूमि के अपने हक हिस्सा 1/6 में से 0.1618 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 5 को बेचान किया है। पंजीयन दस्तावेज से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के किसी विशेष भू–भाग का बेचान नहीं किया गया बल्कि अपने हक हिस्से के अनुसार विशेष भू–भाग का कब्जा सुपूर्द किया है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 06-06-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी